रजिस्ट्री सं० डी० 221

REGISTERED NO. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 64] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 1, 1972/माघ 12, 1893

No. 64] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 1, 1972/MAGHA 12, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 1st February, 1972

S.O. 83(E).—Whereas an election is required to be held by sub-section (3) of section 16 of the North-Eastern Areas (Reorganisation) Act, 1971 (81 of 1971), to elect a representative from the 3-Diphu (ST) parliamentary constituency comprising the Autonomous Districts of the North Cachar Hills and the Mikir Hills in the State of Assam, as if the seat of the member elected to the House of the People from that constituency has become vacant;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 149 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission hereby calls upon the said constituency to elect before the 17th March, 1972, in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person who is a member of any of the Scheduled Tribes in those Autonomous Districts and is an elector of the said 3-Diphu (ST) parliamentary constituency to fill the said seat.

[No. 464/AS-HP/72(1).]

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 1972

एस० आ० 83 अ।.——यत: पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 (1971 का 81) की धारा 16 की उपधारा (3) द्वारा असम राज्य मे उत्तरी काचर पहाडियो और मिकिर पहाडियों के स्वशासी जिलों में समाविष्ट 3 डीफू (अ ज जा) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि का निर्वाचन करने के लिए निर्वाचन किया जाना अपेक्षित है मानो उस निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचित सदस्य का स्थान रिक्त हो गया हो;

अत:, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 149 के उपबन्धों के अनुसरण मे, निर्वाचन आयोग उक्त निर्वाचन क्षेत्र से एतद्द्वारा यह अपेक्षा करता है कि वह उक्त स्थान को भरने के लिए 17 मार्च, 1972 से पूर्व, उक्त अधिनियम के और तद्धीन बनाये गये नियमों और आदेशों के उपबन्धो के अनुसार एक ऐसा व्यक्ति निर्वाचित कर दे, जो उन स्वशासी जिलों की किसी अनुसूचित जनजाति का सदस्य हो तथा उक्त 3-डीफू (अ ज जा) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक हो।

[सं० 464/असम-लो०स०/72 (1)

S.O. 84(E).—In pursuance of the provisions of section 30 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission hereby appoints—

(i) with respect to the election to be held in 3-Diphu (ST) Parliamentary Constituency in the State of Assam in pursuance of its notification No 464/AS-HP/72(1), dated the 1st February, 1972:—

(a) the 8th February, 1972 (Tuesday) as the last date for making nominations;

(b) the 9th February, 1972 (Wednesday) as the date for the scrutiny of nominations;

(c) the 11th February, 1972 (Friday) as the last date for the withdrawal of candidatures; and

(d) the 17th March, 1972, (Friday) as the date before which the election shall be completed; and

(ii) with respect to the election by the said parliamentary constituency the date or dates specified in column 2 of the Table below as the date or dates on which a poll shall, if necessary, be taken in the area comprised within the assembly constituency specified in column 1 against each of these dates

TABLE

Serial No. and name of assembly constituency	Date or dates of poll.
	1
18. Haflong (ST)	7th March, 1972 (Tuesday)
19. Bokajan (ST)	7th March, 1972 (Tuesday)
20. Howraghat (ST)	7th March, 1972 (Tuesday)
21. Baithalangso (ST)	11th March, 1972 (Saturday)

[No. 464/AS-HP/72(2)]

एस० ग्रा० 84(ग्र).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 30 के उपबन्धों के अनुसरण में, निर्वाचन आयोग—

(i) अपनी अधिसूचना सं० 464/असम-लो०स०/72(1), तारीख 1 फरवरी, 1972, के अनुसरण में असम राज्य में 3 डीफू (अ ज जा) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में होने वाले निर्वाचन के बारे में .—

(क)	नामनिर्देशन के लिए अन्तिम तारीख	8 फरवरी, 1972 (मंगलवार);
(ख)	नामनिर्देशन की संवीक्षा की तारीख	9 फरवरी, 1972 (बुधवार);
(ग)	अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीख	11 फरवरी, 1972 (शुक्रवार)
(घ)	वह तारीख, जिसके पूर्व निर्वाचन समाप्त कर दिया जायेगा	17 मार्च, 1972 (शुक्रवार)

को एतद्द्वारा नियत करता है; और

(ii) उक्त संसदीय निर्वाचन क्षेत्र द्वारा निर्वाचन के बारे में, निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट तारीख या तारीखों को, ऐसी तारीख या तारीखों के रूप में जिस पर या जिन पर उन तारीखों में से प्रत्येक के सामने स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट सभा निर्वाचन क्षेत्रों के भीतर समाविष्ट क्षेत्र में, यदि आवश्यक हुआ, तो मतदान होगा ।

सारणी

क्रम सं० तथा सभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम	मतदान की तारीख या तारीखें
1	2
18. हूफ्लांग (अ ज जा)	7 मार्च, 1972 (मंगलवार)
19. बोकाजन (अ ज जा) . .	7 मार्च, 1972 (मंगलवार)
20. होवराघाट . . .	7 मार्च, 1972 (मंगलवार)
21. बेठालांगसो (अ ज जा) . . .	11 मार्च, 1972 (शनिवार)

[सं० 464/असम-लो०स०/72(2)

S.O. 85(E).—In pursuance of section 56 of the Representation of the People Act, 1951(43 of 1951), the Election Commission hereby fixes the hours from 7 A.M. to 5 P.M. as the hours during which a poll shall, if necessary, be taken for the election to the House of the People from 3-Diphu (ST) Parliamentary Constituency, to be held in pursuance of its Notification No. 464/AS-HP/72(1), dated the 1st February, 1972.

[No. 464/AS-HP/72(3).]

By Order,

K. S. RAJAGOPALAN, Secy.

एस० आ० 85(अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 56 के अनुसरण में निर्वाचन आयोग अपनी अधिसूचना सं० 464 असम–लो०स०/72(1) तारीख 1 फरवरी, 1972 के अनुसरण में, 3–डीफू (अ ज जा) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के लिए होने वाले निर्वाचन के लिए 7 बजे पूर्वाह्न से 5 बजे अपराह्न तक का समय उस समय के रूप में एतद्द्वारा नियत करता है जिसके दौरान यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा।

[सं० 464/असम–लो०स०/72 (3).]

आदेश से,

के० एस० राजगोपालन,

सचिव, भारत निर्वाचन आयोग।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972